

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स.3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/16 / २११-५६० दिनांक : 27.07.2020

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री गणपत लाल को निजी सचिव के पद पर वर्ष 2018-19 की रिक्ति (01.11.2018) के विरुद्ध वेतन श्रृंखला (15600-39100) ग्रेड पे- (16) रूपये 6000/- Pay Matrix L-15 in Revised Pay Rules 2017 में कार्यभार संभालने की तिथि से पदोन्नत किया जाकर इनका पदस्थापन निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान के पद पर किया जाता है।



(वी. सरवन कुमार)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)।
2. अतिरिक्त निदेशक, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री _____।
5. संबंधित संस्थापन शाखा/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर